

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

कार्यालय आदेश

संख्या प्रशासनII/लेप./2016-17/161

दिनांक 27.10.2016

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 11013/10/97-स्था. (ए) दिनांक 13.2.1998 के संबंध में, माननीय प्रधान महालेखाकार महोदया ने कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए निम्नलिखित कमेटी का गठन किया है:

1. श्रीमती मीना कुमारी मीना, उप-महालेखाकार (ई.एस.-2) अध्यक्ष
2. कल्याण अधिकारी सदस्य
3. श्रीमती बंदेश्वरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी सदस्य
4. सुश्री हिताक्षी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सदस्य
5. श्रीमती अल्पना गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षक सदस्य

शिकायतों (यदि कोई है) का निपटान करते समय कमेटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों को निपटाते हुए पीड़ित या गवाह के शोषित या भेदभाव नहीं किया जाए। ऐसी शिकायतों का निपटान करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (जे.टी. 1997/7) (एस.सी. 384) के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाए।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या प्रशासनII/ले.प./एस.एच.ओ.डब्ल्यू. डब्ल्यू./2016-17/2231-38

दिनांक 27.10.2016

सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को कापी प्रेषित की जाती है:

1. श्रीमती मीना कुमारी मीना, उप-महालेखाकार (ई.एस.-2)
2. कल्याण अधिकारी (स्थानीय)
3. श्रीमती बंदेश्वरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
4. सुश्री हिताक्षी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
5. श्रीमती अल्पना गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
6. कार्यालय के सभी समूह अधिकारी
7. कार्यालय के सभी अनुभाग
8. कार्यालय आदेश फाइल (प्रशासन-1)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-2)